भारतीय जैन संगठन (BJS- General Awareness Minority)

अल्पसंख्यक का दर्जा.. प्रावधान... लाभ

मान्यवर,

२७ जनवरी २०१४ को भारत सरकार ने जैन समाज को राष्ट्रीय स्तर पर अल्पसंख्यक का दर्जा प्रदान किया | अब तक मुस्लिम, बौद्ध, ख्रिश्चन, सिख एवं पारसी धर्मों को अल्पसंख्यक दर्जा प्राप्त था| भारतीय संविधान में अल्पसंख्यक समुदाय की सुरक्षा, शिक्षा, स्वरोजगार एवं सक्षमीकारण के कई विशेष प्रावधान हैं | इस हेतु विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत करोड़ों के बजट का प्रावधान हैं | इस हेतु विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत करोड़ों के बजट का प्रावधान किया गया है |

अल्पसंख्यक का दर्जाप्राप्त होने के पश्चात समाज को क्या-क्या लाभ प्राप्त होंगे इस बाबत समाज के लोगों को विभिन्न शासकीय योजनओं की विस्तृत जानकारी नहीं है एवं भ्रम की स्थिती भी बनी हुई है | जैसे कि क्या हम आरक्षण के दर्जे में आ गये है, धर्मस्थल- धार्मिक संस्थाएं- संस्कृति-भाषा व लिपि सुरक्षित रहेगी या नहीं, विद्यार्थियों को आर्थिक मदद कैसे मिलेंगी, शैक्षणिक संस्थाओं को क्या लाभ मिलेंगे, व्यापर के लिए सरकारी सहायता कैसे प्राप्त होंगी, महिलाओं को कौन-सी योजनाओं का लाभ प्राप्त होगा, अल्पसंख्यक प्रमाणित करने के लिए कौन से दस्तावेज़ लगेंगे आदि अनेकों का समाधान समाज के लोगों तक पहुँचाना आवश्यक हैं |

भारतीय जैन संगठन द्वारा इस विषय के विशेषज्ञों को विशिष्ठ प्रशिक्षण देकर तैयार किया गया है | ये प्रशिक्षण पुरे देश में भ्रमण कर समाज बन्धुओं की शंकाओं का समाधानकर, जैन समाज को अल्पसंख्यक दर्जे के आर्थिक एवं अन्य लाभ से अवगत करा रहे हैं |

आपसे विनम्र निवेदन है कि इस महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करने वालीसभा में अवश्य उपस्थित रहे |